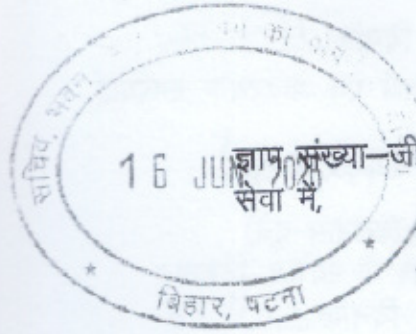


8.6/8.3/15.17



बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-जी०/यो०-31-30/2021/4733/जे०, पटना, दिनांक 16.6.26

16 JUN 2021

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा के आवासीय परिसर में कैम्पस लाईट (विद्युत) अधिष्ठापन कार्य के निमित्त रु० 8,60,224/- (आठ लाख साठ हजार दो सौ चौबीस रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा के आवासीय परिसर में कैम्पस लाईट (विद्युत) अधिष्ठापन कार्य के निमित्त रु० 8,60,224/- (आठ लाख साठ हजार दो सौ चौबीस रुपये) प्राक्कलन प्राप्त है, जिसमें विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, उत्तर बिहार, पटना द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
- यह राज्य स्कीम है।
- इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन-लघुशीर्ष-700-अन्य आवास-उपशीर्ष-0105-न्यायाधीशों के आवास (विधि विभाग) में स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड सं०-03-4216017000105 है।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, सहरसा से की जायेगी।
- इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
(पृ०-12/टि, दिनांक-09.06.2026, सं०सं०-जी०/यो०-31-30/2021)
- प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(पृ०-14/टि, दिनांक-12.06.2026 सं०सं०-जी०/यो०-31-30/2021)
- स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बलराम दूबे)

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।

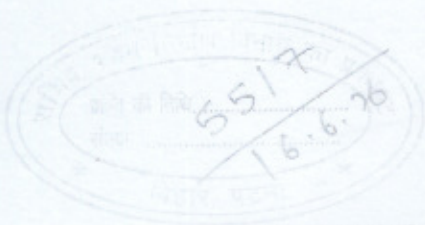
ज्ञाप सं०- जी०/यो०-31-30/2021/4733/जे०, पटना, दिनांक 16.6.26

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बलराम दूबे)

(बलराम दूबे)

सरकार के सचिव, बिहार।



P.T.O